

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:-एफ ()निकाशि/निस/2016-17/ 271

दिनांक:- 4/10/2016

आवश्यक सूचना

शैक्षणिक सत्र 2017-18 हेतु नवीन निजी महाविद्यालय प्रारंभ करने/ पूर्व संचालित महाविद्यालयों को TNOC में अभिवृद्धि/PNOC/ नवीन विषय/ नवीन संकाय/ नाम परिवर्तन/ स्थान परिवर्तन/ सहशिक्षा अथवा कन्या महाविद्यालय सम्बन्धी परिवर्तन आदि के लिए/स्थायी अनापत्ति प्रमाण पत्र धारी महाविद्यालय मान्यता शुल्क जमा करवाने के लिए प्रक्रिया ऑन लाईन रहेगी। ऑन लाईन आवेदन पत्र भरने की तिथियां निम्नानुसार होंगी:-

13 अक्टूबर से 12 नवम्बर, 2016 तक -

बिना विलम्ब शुल्क।

13 नवम्बर से 26 नवम्बर, 2016 तक -

रूपये 25,000/- विलम्ब शुल्क सहित

27 नवम्बर से 10 दिसम्बर, 2016 तक-

रूपये 50,000/- विलम्ब शुल्क सहित

PNOC प्राप्त सभी महाविद्यालयों को भी मानदण्डानुसार मान्यता शुल्क जमा करवाकर ऑन लाईन आवेदन पत्र भरना आवश्यक है। इस हेतु आवेदकों को कालेज शिक्षा विभाग की वेबसाईट (<http://.dce.rajasthan.gov.in>) के "NOC For Private Colleges" लिंक पर अथवा उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की वेबसाईट (<http://hte.rajasthan.gov.in>) के "NOC For Private Colleges" लिंक पर क्लिक करना होगा। अधिक जानकारी के लिए इस विभाग की वेबसाईट www.dce.rajasthan.gov.in के "Act & Rules" के "Policies & Guidelines" लिंक पर देखें।

आयुक्त

कालेज शिक्षा, राजस्थान,